न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 646/2026

सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010045912026

1. साहेबे आलम
2. आफताब इदरीश उर्फ आफताब आलम } पुत्रगण शौकत अली
3. मोनू अली उर्फ मानू आलम

सा0मौ0–पवारा, थाना पवारा, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–100/2026
धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 324(4) बी0एन0एस0।
थाना–पंवारा, जिला जौनपुर।

11.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण साहेबे आलम, आफताब इदरीश उर्फ आफताब आलम व मोनू अली उर्फ मानू आलम द्वारा मु0अ0सं0–100/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 324(4) बी0एन0एस0, थाना पंवारा, जिला जौनपुर के मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 समय 10 बजे सुबह आवेदक घर से बाजार जा रहा था। आवेदक के पड़ोसी नीलकमल बाजार जा रहे थे। हम लोग नाटा यादव के चक्की के पास पहुंचे कि साहेबे आलम, आफताब आलम, नौशाद आलम, शमसाद आलम व मोनू आलम आवेदक व नीलकमल को गाली गुप्ता देते हुये लाठी, डण्डे, सरिया, धारदार हथियार से जान से माने की नियत से सर पर चोट पहुंचायी गयी जिससे गंभीर चोट आयी तथा आवेदक का मोबाइल भी तोड़ दिये। उपरोक्त लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हुये मारे–पीटे जिससे काफी चोटे आयी। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण को गलत आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदकगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज कराय गया है। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादीपक्ष को भद्दी–भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा, सरिया व धारदार हथियार से मारपीट करने का आरोप है जिसकी

पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटनाक्रम में चोटहिल नीलकमल यादव व धीरज कुमार को चोटे आना अंकित है। चोटहिल नीलकमल की एक्सरे रिपोर्ट में Xray left elbow joint- NAD अंकित है। चोटहिल धीरज कुमार की सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में Soft tissue Scalp haematoma over left high parietal region with few air foci within with falx calcification as mentioned above अंकित किया गया है। आवेदकगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से कोई शय बरामद नहीं हुआ। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण की ओर से उक्त मुकदमा का क्रॉस केस मु0अ0सं0 101/2026, धारा–191(2), 351(2), 115(2), 109(1), 352 बी0एन0एस0 थाना पर पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त पक्ष के लोगों को भी चोटे आना अंकित है। मामले में कौन सा पक्ष आक्रामक रहा है यह साक्ष्य का विषय है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण साहेबे आलम, आफताब इदरीश उर्फ आफताब आलम व मोनू अली उर्फ मानू आलम द्वारा मु0अ0सं0–100/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 324(4) बी0एन0एस0, थाना पंवारा, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु0 1,00,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

<u>दिनांक 11.06.2026</u>

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।